E-mail

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
EPABX : 2428721–24 फेक्स : 0294–241417
ई–मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ–1(बी)( )( )सीटीएडी / 2017 / 11654-753 दिनांक 2-5-17

1. समस्त विभागाध्यक्ष
2. जिला कलक्टर,
उदयपुर / बांसवाडा / डूंगरपुर / प्रतापगढ / सिरोही।

विषयः– अनुसूचित क्षेत्र की अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा / कार्मिकों की पदोन्नति के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 से राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र, अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 बनाये गये हैं। उक्त नियम, 2014 के अनुसार सभी विभागों को अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग–अलग सेवा का गठन एवं सेवा नियम जारी करने का प्रावधान किया गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 04.07.16 **''अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में सीधी भर्ती में आरक्षण के अनुंपात में अनुसूचित जाति के कार्मिकों को 5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को 45 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा''** जारी की गई है। (प्रति संलग्न है)

अनुसूचित क्षेत्र की विभिन्न विभागों की सेवाओं / कार्मिकों के संबंध में कार्मिक विभाग ने उनके पत्र क्रमांक एफ–2 (4) कार्मिक / क–2 / 2016 दिनांक 19.04.2017 (प्रति संलग्न) से स्पष्ट किया है कि –

- अधिसूचना दिनांक 04.07.16 के जारी होने के उपरान्त वर्ष 2016–17 के लिये जो भी पदोन्नतियों की जायेगी वह अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

M

- अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के प्रावधान रिक्तियों के स्थान पर कॉडर स्ट्रेन्थ पर लागू होंगे, ताकि नियमानुसार प्रावधान लागू हो सके।
- पदोन्नति में पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कार्मिक उपलब्ध नहीं होने पर, कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1)डीओपी/ए–II/2008 दिनांक 17.01.2013 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि कृपया आपके विभाग/कार्यालय की अनुसूचित क्षेत्र की सेवा/कार्मिकों की वर्ष 2016–17 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार शीघ्र आयोजित कराये जाने का कष्ट करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)
आयुक्त

4

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

जयपुर, दिनांक : 4.7.2016

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूं कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 12) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गयी अधिसूचनाओं एवं आदेशों व निर्देशों में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19(2)80–एल–1 दिनांक 12–02–81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के कार्मिकों को 5 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को 45 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

ह0/–
(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान
(क्र. एफ. 13(20)कार्मिक/क–2/91/पार्ट)

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

28/2016

आवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– एफ. 2(4)कार्मिक/क–2/2016 जयपुर, दिनांक: 17.04.2017

आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल,
उदयपुर (राज.)

विषयः– अनुसूचित क्षेत्र की विभिन्न अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के कार्मिकों की पदोन्नति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक एफ. 1(बी)( )( )सीटीएडी/2017/9915 दिनांक 13.4.17

महोदय,

उपुर्यक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में आप द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संबंध में निर्देशानुसार अवगत कराया जाता है कि–

(1) जो पदोन्नतियां अधिसूचना दिनांक 4.7.2016 के उपरान्त वर्ष 2016–17 के लिए आयोजित की जायेगी, उन पर अधिसूचना दिनांक 4.7.2016 के प्रावधान लागू होंगे।

(2) पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.02.2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत पदोन्नति की जा सकती है।

(3) पदोन्नति हेतु अधिसूचना दिनांक 4.7.2016, रिक्तियों के स्थान पर काडर स्ट्रेन्थ पर लागू होगी, ताकि नियमानुसार प्रावधान लागू हो सके।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुनील शर्मा) 18/4/2017
संयुक्त शासन सचिव